



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश रासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन
 एवं
 मंहगाई भत्ते की दरें
 दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरे श्रम विभाग की वेबसाइट

www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ **28003-252**

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, में श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात किया गया, माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	$2315.81 \div 6 = 385.96$ (386)

तथा इनका औसत 386 घोषित करता है, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्धारित व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील महगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनर्रक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2015/ 28.003-252 दिनांक 25-09-2023 के अनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 के ऊपर $(386-379)= 07$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $(25 \times 07)= 175/-$ की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(386-241)= 145$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $(25 \times 145)= 3625/-$ प्रतिमाह या $(3625 \div 26)$ रूपये 139.42 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(386-253)= 133$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 133)= 3325/-$ प्रतिमाह या $(3325 \div 26)$ रूपये 127.88 प्रतिदिन रूपये दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसार में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-“क” के अनुसार निर्धारित करता हूं, जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक															दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378		
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	अर्द्धकुशल	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411		
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	कुशल	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464		
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514		

स्पष्टीकरण -

- (1) भजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यारो शिमला द्वारा निर्भित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर पाति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विधमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ठ-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-व में देखें।


 (श्रीकांत बनोठ)
 अमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट - अ


न्यूनतम भजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
1	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी बन लगाने तथा बन उपज में नियोजन	
3	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी तेल मिल में नियोजन	
10	किसी चांबल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुर्ग पोहा निर्माणी में नियोजन	
12	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आयसीय होटल, रेस्टारेट तथा नाट्यगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन	
19	किसी चूता भट्टे में नियोजन	
20	किसी इंट भट्टे में नियोजन	
21	किसी पॉवरलूम/जिसमें सायंजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेट्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाइनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन	
26	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी स्लेट, पैसिल निर्माण शाला में नियोजन	
28	किसी कल्पा उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गेर के निर्माण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी बोतमिल में नियोजन	
32	किसी टाईल्स, जिसमें मैग्नोर टाईल्स, भलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी धिनिर्माण प्रक्रिया जिसमें धिनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन	
34	किसी प्रायवेट भूस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (प्रथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन	

35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिसमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र वितरणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे ककड़, मुर्म, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड ब्रेटल, अर्थे फुलर्स, अर्थे और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन हृष्ट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोभोबाइल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरजेस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी फॉल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टारेंट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आमदानी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेल्स या ब्यूटी पार्सर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रोनिक्स या सहबद कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पर्म्पों में नियोजन
54	मिटटी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चाटी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्षा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजायरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से विभिन्न खिलौने भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बड़ी, पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्त्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

भाग - दो

१ कृषि में नियोजन



(श्रीकांत बलोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट - ब


स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गोंकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सन्मिलित नहीं हैं, के लिए व्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अद्विकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा –
 - (क) “कुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) “अद्विकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमरा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधेबंधाये रोजमरा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) “अकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) “उच्च कुशल कर्मचारी” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ठ स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उस व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ठ ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कठिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय वकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अधिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए))
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्वाम दिवस के संबंध में परिश्रमिक समिलित हैं।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, त कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में समिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।



(श्रीकांत बनोठ)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिशती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/ भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खलासी, व्हीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमेन, बॉटल क्लीनर, बेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस्ड वेंडर, बालवाडी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याउ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कॉटनशीटस कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाझ्वाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हृदलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, बेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वाईबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेन्डर, अटेंडेंट, वार्ड सप्लायर, पैटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉण्ड्रीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबॉय, बेटर, रूम अटेंडेंट, धागा कटिंग, चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहर्रिर, सहायक मिस्ट्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्ट्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्कर्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पैन्टर, सहायक टिकिर, सहायक इलेक्सिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक गीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिधालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेंडेंट, व्हीलबरी कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोतल फिलर, केप्सून फ़िलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेंडेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, युकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमैन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमवी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटाफोलर, गाठवाला, सहायक जॉवर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिवस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिने, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, मुशी, फार्मेसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलासी, डिपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शोप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, फ्रिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा ऑपरेटर, चिपर, मैकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मैकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत सटोंक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्करुम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग कलर्फ, थ्रेसर, आया, पेकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्स टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाईजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल -

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पैंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुजापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मैकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टनर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्ट्री, सुपरवाईजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडफल्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गाई, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, वुड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लेकस्मिथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, वुड पॉलिशर, कारपेंटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनिशियन/अपहोलस्टर, कारपेंटर, टेलिफोन ऑपरेटर, लेब्रेटरी टेक्निशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, लेब्रेटर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्ट्री, सिरामिस्ट, ट्रूल्स इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्ड्री अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रवास प्रभारी(वार्डन), दर्जी, रोलर मिस्ट्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनक्शर, चरखा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पैंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्केपर, डीजल पम्प आपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/ लेब्रेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिशर, ट्रूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेंडर्स, पेटस मैकेनिक कम आपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्म्ड सिक्युरिटी गाई, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्टयूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोप मैकर, प्लाण्ट आपरेटर, टोय मैकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाईजर, सार्टर, वाइप्डर, मैकेनाइजर हाउस कीपीग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटाईपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सलटेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रोजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मेनेजर, टेरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्युटिव, साईन्टिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मधारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेंट, केशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि ।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, , लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, , लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि ।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफिटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रियाइन्डर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -


लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कॉपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्ट्रॉडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रूफ कतर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लैंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विभिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाइनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइंडिंग बायलर कलीनर, मजदूर अक्विजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, छोकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेसिल लिर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	मजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
6705	257.85	3450	132.69	10155	390.58	391	पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3625	139.42	10330	397.31	397
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	मुनीम, लेखाकार, कलंक आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
9522	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499	रेतर्स, मिस्ट्री पार्ट्स	9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
10155	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523	कर्टर्स	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

स्पष्टीकरण -

1-मजदूरी विधारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी विधारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/वियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2-अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

3-इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूवेतन अधिनियम, 1948 की पारा 12(1-ए))


 (श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इंदौर


अनुसूची - स
किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरे जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडाप कर दैनिक दर		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडाप कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक															दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
						रूपये	लिपिकीय वर्ग									रूपये
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378		
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464		
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411		
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514		
							कुशल श्रेणी									
9685	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505	श्रेणी एक	9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512		
9378	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493	श्रेणी दो	9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500		
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	श्रेणी तीन	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464		
							अद्वि कुशल श्रेणी									
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464		
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411		

संष्टीकरण -

- मजदूरी विधारण में ऐसे तथा रूपये के गुणाकारों को राठडाप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी विधारित की जायेगी। वित्त विभाग के परियन्त्र क्र. एफ. ३-७/२००६/नियम/धारा, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 ऐसे अक्षत उत्तरों अधिक वैसे ही तो उन्हें अग्रते उच्चतर रूपये में प्राप्तिकित किया जायेगा और 50 ऐसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दरशीई गई वेतन दरों पर लेखर व्यारो शिमला द्वारा लिंगित औरागिक श्रविकों के लिए अग्रिम भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आकारों के औरत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर परि 6 माह में जो औसत यूटि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यूटि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिविन्दु प्रतिमाह १५५० रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील महगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कमचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विषयात्मक वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम तरीं की जायेगी, अब तक यह न्यूनतम वेतन की दर उसके समरक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की पारा 12(1-ए))


(श्रीकांत बनोठ)

श्रामायुक्त,
अध्य प्रदेश, इंदौर


अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठड़अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठड़अप कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक												दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
6500	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322	अकुशल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328	
7057	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350	अर्द्धकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356	
8435	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396	कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402	
9735	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440	उच्चकुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445	

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राठड़अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरे 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दराई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए आंखेत भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयत्न किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि यिहमान वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम जहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


 (श्रीकांत बनोठ),
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्वे/पांच/2015/ 28253-502


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात किया गया। भाफ्फ जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी, 2023	1170
फरवरी, 2023	1171
मार्च, 2023	1175
अप्रैल, 2023	1180
मई, 2023	1186
जून, 2023	1196
औसत सूचकांक	7068 ÷ 6 = 1179.67 (1180)

तथा इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि परिशेषित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्याह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 1.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्वे./पांच/2015/28253-502 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है। गत छ: माही का औसत 1152 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1152 के ऊपर (1180-1152)= 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रूपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (6X28)= 168/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के ऊपर कुल उभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1180-768) = 412 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (412X6)= 2472/-प्रतिमाह या (2472÷30) रूपये 82.40 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2472= रूपये 7822/- तथा 7822÷30= रूपये 260.73 (रातण्ड-अप रूपये 261/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- द के लिए)।

अनुसूची - द
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक															दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
5350	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255	अकुशल कृषि श्रमिक	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261		

स्पष्टीकरण – परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

(1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्भित अधिकार भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृत्ति के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिविन्दु प्रतिमाह रूपये 6/- (छ: रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(2) भजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक भजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान वियत हैं।

(6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम भजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विज्ञाम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित हैं।

Utkarsh
(श्रीकंत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 10869-1118

इंदौर, दिनांक 31/03/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के हारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेखर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विभाग जगवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ।

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी, 2022	8223.90
2. फरवरी	8217.32
3. मार्च	8283.06
4. अप्रैल	8394.82
5. मई	8480.28
6. जून	8493.43
7. जुलाई	8539.44
8. अगस्त	8559.16
9. सितम्बर	8631.48
10. अक्टूबर	8710.36
11. नवम्बर	8710.36
12. दिसम्बर, 2022	8697.22
औसत	101940.83 ÷ 12 = 8495.06 औसत (8495)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8495 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तथाकू (जिराम) बीड़ी व्यापा भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजित अग्रिमों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ ८(सी) १-२०१३-ए-सोलह दिनांक ०८.१२.२०१४ (म.प्र. राजपत्र में गण ४(ग) दिनांक १२ दिसम्बर २०१४ में प्रकाशित) के हारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महगाई भत्ता बीड़ी श्रगिकों को दिनांक ०१/०४/२०२३ से ३१/०३/२०२४ तक देय रहेगा।


 (डॉ. वीरन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

2. रिलाई श्रमिक

a. बीड़ी के कट्टों पर डिल्ली लगाना

- लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य
- यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है

रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर
(02 पैसे प्रति दो हजार) रु. 31.96 रुपये 84.35
रु. 31.96 रुपये 88.22
(02 पैसे प्रति दो हजार)

b. डिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

- डिल्ली पर लेबल लगाना
- डिल्ली लगाना
- लेबल लगाना
- पुड़ा बनाने का विपकाना

रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर
रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर
रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर
रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर

रु. 31.96 रुपये 77.91
(02 पैसे प्रति दो हजार) रु. 23.97 रुपये 57.51
(03 पैसे प्रति चार हजार)
रु. 7.99 रुपये 20.83
(02 पैसे प्रति आठ हजार)
रु. 7.99 रुपये 21.24
(02 पैसे प्रति आठ हजार)

c. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

- आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो
- डिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो
- डिल्ली तथा नक्शी डिल्ली लगाने का कार्य हो


रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर
रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर
रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर

रु. 127.84 रुपये 320.48
(04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर) रु. 127.84 रुपये 341.43
(04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)
रु. 127.84 रुपये 341.43
(04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)

कोटि- बीड़ी फिर्स्ता के संबंध में देनिक या माहिरक दर से वेतन भाने वाले कर्मचारियों जैसे देन्द्रिय छात्रने लगा जाने करने वाले, तांबाकू भिश्रण तथा छानने का कार्य उन्हें वाला, शट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भागी दाइनी) वाला, वाहन, रक्षणात्मक, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, रटोरकीपर, टाइपिस्ट, विलेन, ब्लक ग्रहण, चौकीदार के लगानी न्यूनता देना आधिगियम के अंतर्गत राग्य राग्य पर निधारित कुशल, अद्वकुशल और वाकुशल शेणों के अंगको के वेतन के अनुसार नियमित होगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1— कुशल:— ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुद्रिंग, केशियर, स्टोरकीपर, हेल्पलर, गोडाउन कीपर
- 2— अर्धकुशल:— बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राइवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, वल्कर




(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
गणप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षग प्राधिकारी

Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	31.96
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	5.30
4.	Total Wages	111.26
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	9.27
6.	P.F. contribution of employer (@ 10% of total wages)	11.13
7.	Total wages + Bonus+PF Contribution) Less Contibution of employer (-)	131.66
8.	Total Wages + Bonus	120.53
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-))	11.13
10.	Net Payable to Beedi Roller	109.40


(Dr. Virendra Singh Rawat)
Labour Commissioner
Madhya Pradesh, Indore


श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर
क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2015/ 28503-750 इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात कर मैं, श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ:-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जनवरी, 2023	382.46
2	फरवरी, 2023	382.18
3	मार्च, 2023	383.90
4	अप्रैल, 2023	386.50
5	मई, 2023	387.94
6	जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक		2315 ÷ 6 = 385.97 (386)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्भवित है) के वितरण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह ट्यू य सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय रहेगा।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2015/**28503-750** दिनांक **25/09/2023** के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छ: माही का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (386-379) = 07 पाईंट 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 07 = 175$ रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $386-239=147$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25×147) रूपये 3675/- प्रतिमाह अथवा ($3675 \div 26$)= रूपये 175/-प्रतिदिन। प्रतिमाह 8750 रूपये या $8750 \div 26 = 336$ रूपये 54 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील महगाई भत्ता
सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार देय है :-

(आंकड़े रूपये में)


क्र.	कर्मचारियों का दर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउंड अप में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्टूपत्ता देने या बीड़ियों प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायवर(चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क बिलमेन	5075	195.19	3675	141.35	8750	336.54	337
2	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूँड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूत्य, चौकीदार	4945	190.19	3675	141.35	8620	331.54	332
3	ड्रायवर (चालक) भारी वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	5225	200.96	3675	141.35	8900	342.31	342

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ. 9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
- परिवर्तनशील महगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5635(2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक

के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
- 6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेल्टूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा वह श्री सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की रक्षि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्राका यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक हौम या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



(श्रीकांत बनोठ)
अमायक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015/ 28751-999

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023


अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर व्यूरो, शिमला से जात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	2315 ÷ 6 = 385.97 (386)

तथा विगत छःमाही का औसत 386 घोषित करता है, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्धारित व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्दिशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


 (श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधि किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015 / 28751-999 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार जनवरी-2023 से जूलाई-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छ: माहों का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छ: माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (386-379) = 07 पाइन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 07 = 175$ रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $386 - 241 = 145$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $25 \times 145 = 3625$ प्रतिमाह या $3625 \div 26 = 139$ रूपये 42 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसा प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 175 पर ($145 \div 4 = 36.25$) रूपये 36.25 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

अनुसूची – एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलसे (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40.	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 57.65
(ब) सुगंधित (सेटेड)	22.00	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 58.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि वियमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाकेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अग्रवल्टी गिल्ना, बटर पेपर की डिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 49.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 63.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.43
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 99.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 125.26

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 80.85

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 82.33
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.88
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 123.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 126.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर डिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 16.98	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 41.63
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 42.45
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.30
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 22.19	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 51.19
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 64.95

(इ) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 3.85	रु. 5.80 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 9.65
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 4.44	रु. 7.25 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 11.69
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकड़ा रु. 36.34	रु. 10.15 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 46.49

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक

(आंकड़े रूपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राठण्ड-अप रूपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकिदार,	5939	228.42	3625	139.42	9564	367.85	368
2	टाइपिस्ट, कलर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला,	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
3	एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्ट्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला,	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464

नोट — अग्रवत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्ट्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कलर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अद्विकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण —


- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राठण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ९-७-२००६/नियम/चार, दिनांक २० सितंबर, २००६ में ५० पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा और ५० पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की धारा १२(१-ए))

- अनुसूची के कॉलम २ में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, २०१४ से जून, २०१४ में औसत अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) २४१ (२००१=१००) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम ३ में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये जाये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये २५.०० प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ.माही जुलाई से दिसंबर

तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनराक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विज्ञाम दिवस के संबंध में पुनराक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रीमान् युक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 29251-53

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रतिलिपि –

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।

(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 29254-500

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्णय विभाग, भोपाल।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपद्ध के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 20- राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।
- 23- समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्णय विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुद्धत, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
 33- संचालक/ समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
 35- समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
 37- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
 38- सचित, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
 41- लेबर व्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई अत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए जिलों में पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

(श्रीकांत बनोठ)
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक १/११/अन्वे/पांच/2015/ २३५०१ - ४५०

इन्दौर, दिनांक २५/०९/२०२३

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीता(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2023 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.10.2023 से पुनरीक्षित/ प्रभावशील की गई है। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लोग ऑन करने का कष्ट करें।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर